मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 07/2026

1. राज्य सरकार जरिये पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी गली नंबर 03, चूनावढ श्रीगंगानगर।
2. श्री नरेश फास्ट फूड, मैन रोड, चूनावढ़, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

<u>प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।</u>

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार, स्वयं।

दिनांक: 15.05.2026

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान(16 फरवरी से 27 फरवरी) श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं आपुर्ति विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एफ 65()खा.वि. /एलपीजी/2026/राजकाज नंबर 20500951 दिनांक 12.02.2026 व जिला कलक्टर महोदया के आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में श्रीगंगानगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मन पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को चूनावढ़ मैन रोड पर स्थित नरेश फास्ट फूड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी गली नंबर 03, चूनावढ़ श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग फास्ट फूड आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 2 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर इण्डेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री जितेन्द्र कुमार** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री **जितेन्द्र कुमार** के उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री सतीश चुघ पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी चूनावढ़, मैनेजर लक्ष्मीनारायण इण्डेन, चूनावढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

29/8/2026
बहस
19.9.
१५.०

जीसीएमएस नं. 2026/34

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 07/2026

1. राज्य सरकार जरिये पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी गली नंबर 03, चूनावढ़ श्रीगंगानगर।
2. श्री नरेश फास्ट फूड, मैन रोड, चूनावढ़, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार, स्वयं।

दिनांकः 15.05.2026

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान(16 फरवरी से 27 फरवरी) श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं आपुर्ति विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एफ 65()खा.वि./एलपीजी/2026/राजकाज नंबर 20500951 दिनांक 12.02.2026 व जिला कलक्टर महोदया के आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में श्रीगंगानगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मन पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को चूनावढ़ मैन रोड पर स्थित नरेश फास्ट फूड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी गली नंबर 03, चूनावढ़ श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक बताया। श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग फास्ट फूड आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 2 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर इण्डेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री जितेन्द्र कुमार** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री जितेन्द्र कुमार** के उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री सतीश चुघ पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी चूनावढ़, मैनेजर लक्ष्मीनारायण इण्डेन, चूनावढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जितेन्द्र कुमार द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार के** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के दुकार से जब्त किए गए सिलेण्डर का प्रयोग घर पर प्रयोग करने हेतु केवल मात्र दुकान पर भरवाने के लिए रखे हुए थे। प्रार्थी को नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण यह त्रुटि हुई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का आज ही नरमी का रूख अपनाते हुए निस्तारण किया जाए। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि **जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को चूनावढ़ मैन रोड पर स्थित नरेश फास्ट फूड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, निवासी गली नंबर 03, चूनावढ़ श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक बताया। श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग फास्ट फूड आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 2 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 सिलेण्डर इण्डेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री जितेन्द्र कुमार** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री जितेन्द्र कुमार** के उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

5 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री सतीश चुघ पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी चूनावढ़, मैनेजर लक्ष्मीनारायण इण्डेन, चूनावढ़, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री जितेन्द्र कुमार** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार के** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0), श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner